

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (534) के किमी 196 से किमी 276  
सतपुली से श्रीनगर के 2 लेन निर्माण हेतु

कार्यालय उप जिलाधिकारी, 4/8/17

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, 4/8/17

उपखण्ड 4-367 परिक्षेत्र के अन्तर्गत MR 119 सतपुली से श्रीनगर डि. 196 से 276 वन भूमि 51/119  
संख्या 4-367 हेतु आरक्षित वन भूमि 90.115 हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.151 हेतु 7.12  
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32.553 हेतु वन भूमि ) का राष्ट्रीय राजमार्ग चुनाकोट प्रयोक्ता  
एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी  
(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील  
4/8/17) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री  
किशन सिंह जी.पी. उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की  
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशन सिंह जी.पी. उपजिलाधिकारी 4/8/17
- 2- श्री रवि कुमार (P.O.) उप प्रभागीय वन अधिकारी 4/8/17
- 3- श्री रविचंद्र सोमवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी 4/8/17 सदस्य/संघिव
- 4- श्री अमिता कान्वाल बी.डी.डी.सी. क्षेत्र 4/8/17 सदस्य Amita

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की  
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत करवाया गया  
किशन सिंह जी.पी. उप जिलाधिकारी 4/8/17 सदस्य/संघिव  
रविचंद्र सोमवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी 4/8/17 सदस्य/संघिव  
अमिता कान्वाल बी.डी.डी.सी. क्षेत्र 4/8/17 सदस्य Amita  
परियोजना हेतु 26.274 हेतु वन भूमि  
राष्ट्रीय राजमार्ग चुनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु  
प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वन अधिकार का कोई मामला  
लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार  
पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

उप जिला अधिकारी  
वारंरन्सू जी.पी.

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, 4/8/19 द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 32593 उपरिक्षेत्र के अन्तर्गत

परियोजना के निर्माण हेतु हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में संक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- जिला मजिस्ट्रेट  
जनपद- बारहसू पोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, 4/8/19 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- जिला मजिस्ट्रेट  
जनपद- बारहसू पोली

प्राप्ति-50.2

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुली-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, पॉस्ट  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, पॉस्ट

उपखण्ड पॉस्ट परिक्षेत्र के अन्तर्गत 11/11/2019 दिनांक 196 से 276

सतपुली से श्रीनगर (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम  
वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय  
राजमार्ग धुमाकोर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित  
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत  
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पॉस्ट) की दिनांक 18/09/19 को सम्पन्न बैठक  
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम  
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन  
सिंह नेगी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता  
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पॉस्ट
- 2- श्री श्री राजी कृष्ण (8.0) उप प्रभागीय वनाधिकारी पॉस्ट उप जिलाधिकारी
- 3- श्री प्रमोद चमोली सहायक समाज कल्याण अधिकारी कलकत्ता सदस्य
- 4- श्री लाजवंती देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र कलकत्ता सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की  
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय  
राजमार्ग 119 कि.मी. 196 से 276 (सतपुली से श्रीनगर) 03 दो लेन चौड़ाई 20-25 मी  
धूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग  
रक्षा धुमाकोर प्रयोक्ता एजेन्सी  
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के  
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति  
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संदर्भित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावित अति की वैधता की स्थिति परियोजना के निर्माण हेतु 32.552 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमको प्रयोज्य एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- पौड़ी  
जनपद- पौड़ी, गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी, गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- पौड़ी  
जनपद- पौड़ी, गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुरी-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, श्रीनगर  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, श्रीनगर

उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रमाणित 28 की  
वैचारिक जिल्ला (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम  
7-92 मकान गिराना वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय  
राजमार्ग, धुसाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित  
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत  
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर) की दिनांक 19/04/17 को सम्पन्न बैठक  
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम  
2006 एवं नियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री माया दत्त  
मोशी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता  
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |                                   |                           |                 |                    |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 1- श्री <u>माया दत्त मोशी</u>     | उप-जिलाधिकारी             | <u>श्रीनगर</u>  | अध्यक्ष            |
| 2- श्री <u>मनोहर खी जयल</u>       | उप प्रभागीय वनाधिकारी     |                 | सदस्य              |
| 3- श्री <u>प्रमोद प्रसाद</u>      | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>खिरई</u>     | सदस्य/सचिव         |
| 4- श्री <u>प्रमोदी सरिता धनाइ</u> | बी0डी0सी0 क्षेत्र         | <u>जंगरहावा</u> | सदस्य <u>सरिता</u> |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की  
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय  
राजमार्ग-119(834) कि.मी. 196 से 276 (सतपुरी से श्रीनगर) एक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 32  
553 हे0 परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग  
276, धुसाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी  
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के  
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति  
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 119 (534) परियोजना के निर्माण हेतु 32-553 480 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जगह में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- श्रीनगर  
जनपद- पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- श्रीनगर  
जनपद- पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (534) के किमी 196 से किमी 276 सतपुली से श्रीनगर के 2 लेन निर्माण हेतु

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पंजाब

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, पंजाब

उपखण्ड पंजाब - परिक्षेत्र के अन्तर्गत MM/19/196 to 276 (सतपुली से श्रीनगर)

निसं. 3 (4-36-7) हे० आरक्षित वन भूमि 30:115 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0:151 हे० 7-92 मखवा वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32:553 हे० वन भूमि ) का राष्ट्रीय राजमार्ग 119 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पंजाब) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पंजाब अध्यक्ष
- 2- श्रीमती रवी कुमारी उप प्रभागीय वनाधिकारी पंजाब सदस्य
- 3- श्री धनम चमोली सहायक समाज कल्याण अधिकारी पंजाब सदस्य
- 4- श्री पक्की बी०डी०सी० क्षेत्र पंजाब सदस्य

(पूनम चमोली) उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

परियोजना हेतु 26:274 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 119 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मानला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ५०१ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ५०१ परिक्षेत्र के अन्तर्गत NM-119 (डि.०) 1904276 सतपुरी चिखनपाड़ा हेतु 9-1-2018 51-11/9- परियोजना के निर्माण हेतु 32-553 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- ५०१  
जनपद ५०१ गढ़वा/ल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ५०१ गढ़वा/ल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- ५०१  
जनपद ५०१ गढ़वा/ल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (संतपुली-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, पौडी  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौडी

उपखण्ड पौडी परिक्षेत्र के अन्तर्गत 119 (S14) कि.मी. 196 से 276 संतपुली

से श्रीनगर कि.मी. 276 से 436+7 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोधम

1.92 मल्ला विस्तारक वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि का राष्ट्रीय

राजमार्ग एच0एच0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित  
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत  
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौडी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक  
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम  
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशोर  
सिंह नेगी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति को अध्यक्षता  
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशोर सिंह नेगी उप-जिलाधिकारी पौडी अध्यक्ष
- 2- श्री रवि कुमार (R0) उप प्रमार्गीय जिलाधिकारी पौडी सदस्य
- 3- श्री अमित कुमार सहायक जिलाधिकारी पौडी सदस्य / सचिव
- 4- श्री किशोर सिंह नेगी वी0डी0सी0 पौडी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की  
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय  
राजमार्ग 119 (S14) कि.मी. 196 से 276 (संतपुली-श्रीनगर) दो लेन चौड़ीकरण हेतु  
वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 36.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय  
राजमार्ग 119 (S14) कि.मी. 196 से 276 (संतपुली-श्रीनगर) दो लेन चौड़ीकरण हेतु  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखे गया। ग्राम समा के  
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति  
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पॉडी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम राभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पॉडी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 डि. नं. 196 से 276 (सतपुली मे शीनगर) परियोजना के निर्माण हेतु 32.50 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जंगल में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उप जिला मजिस्ट्रेट  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- पॉडी  
जनपद- पॉडी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पॉडी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उप जिला मजिस्ट्रेट  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- पॉडी  
जनपद- पॉडी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतेपुली-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, पौडी  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौडी

उपखण्ड पौडी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 (सतेपुली से श्रीनगर)

किमी 196 से 276 (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम

7.42 मल्ला निस्तारण वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32.533 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय

राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौडी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डि.न. सिंह पौडी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री डि.न. सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौडी अध्यक्ष
- 2- श्रीमती रानी लुधन (R) उप प्रभागीय वनाधिकारी पौडी सदस्य
- 3- श्री पुनम चमोली सहायक समाज कल्याण अधिकारी कल्मीखाल सदस्य / सचिव अमरी
- 4- श्री स. समाज कल्याण अधिकारी दामवरी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र कल्मीखाल सदस्य दामवरी देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की

अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय

राजमार्ग 119 (534) कि.मी. 196 से 276 (सतेपुली से श्रीनगर) 95 दो लेन चौड़ीकरण हेतु

वन भूमि 32.533 परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय

राजमार्ग 119 (534) धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मानला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पं.डी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी निगम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, पं.डी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NM.119 (सतपुड़ी) से श्रीमता बि.डी. 176 से 176 परियोजना के निर्माण हेतु 32-558 80 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुनानेर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील— पं.डी  
जनपद— पं.डी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पं.डी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील— पं.डी  
जनपद— पं.डी गढ़वाल

समकोरी

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 196+00 से 276+00 (सतपुरी-शीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, पौड़ी  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनकारी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत उन्नावित भूमि की  
वैधानिक स्थिति (4.36 च. हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे० सिविल एवं रोडम  
7.42 मखवा निरक्षर भूमि 0.151 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32.553 हे० वन भूमि) का राष्ट्रीय  
राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित  
जनजाति और अन्य परम्परागत वनकारी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत  
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/19 को सम्पन्न बैठक  
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम  
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह  
नेगी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता  
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौड़ी
- 2- श्री मती राखी जुआन (R.O.) उप प्रभागीय वनाधिकारी
- 3- श्री अनिल कुमार सेनवाल सहस्रक सचिव कल्याण अधिकारी पौड़ी
- 4- श्री मति सैनोषी रावत वी०डी०सी० सचिव पौड़ी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की  
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों का अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय  
राजमार्ग-119 (534) के कि०मी० 196 से 276 (सतपुरी से शीनगर) दो लेन चौड़ीकरण  
हेतु वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग स्वयं  
धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी  
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के  
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति  
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यवर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप ज़ागीय वनाधिकारी, पंजी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

हैतक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पंजी संक्षेप के अन्तर्गत NM-119 (534) सतपुड़ी बेरीनगर परियोजना के निर्माण हेतु 82-953 80 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- पंजी  
जनपद- पंजी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पंजी गढ़वाल को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- पंजी  
जनपद- पंजी गढ़वाल

कमेड/सिंह

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 196+00 से 276+00 (सतपुली-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, पौड़ी  
अनुरूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की कार्यवाही

सिमावित्त (4.36.7 हे० आरक्षित वन भूमि, 20.11.5 हे० सिविल एवं सोयन

7.92 सवना निस्तर वन भूमि 0.151 हे० वन पंचायत भूमि, अथवा कुल 32.563 हे० वन भूमि) का लोक

निर्माण विभाग धुनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुरूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/11 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुरूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौड़ी अध्यक्ष  
2- श्रीमती राखी कुमारी (R.O.) उप प्रोग्रामी वनाधिकारी  
3- श्री कमल जैनवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी सदस्य/सचिव कल्याण अधिकारी  
4- श्री सवित्री देवी वी०डी०सी० क्षेत्र कमेडा सावेरी देवी सदस्य गढ़वाल

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप-जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग - 119 (534) के कि०मी० 196 से 276 (सतपुली से श्रीनगर) तक दो लेन सड़क चौड़े वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग स्वतः, धुनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मांगला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्रविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत अवि असि की वैधानिक स्थिति परियोजना के निर्माण हेतु 32.553.30 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, धुताकोट प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- पौड़ी

जनपद- गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी, गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- पौड़ी

जनपद- गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, पं०  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, पं०

उपखण्ड पं० परियोजना के अन्तर्गत NH-119 (सतपुली से खैरगढ़)

दि० 196+0276 (4.367 हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे० सिविल एवं सार्वजनिक

वन भूमि 0.151 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 24.553 हे० वन भूमि) का 21.51 हे०

राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित

जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पं०) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक

की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति का बैठक को किशन सिंह

नेगी उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता

में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री किशन सिंह नेगी उप-जिलाधिकारी पं० उप-जिला अधिकारी

2- श्री रखी जुयाल (R.O.) उप प्रभारी वन अधिकारी पं० उप-जिला अधिकारी

3- श्री अनिल सेमवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी पं० सदस्य / सचिव

4- श्री धर्मपाल वी०डी०सी० क्षेत्र पं० सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप-जिलाधिकारी की

अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि NH-119

दि० 196+0276 (सतपुली से खैरगढ़) तक के दो लेन चौड़ीकरण हेतु का प्रस्ताव

परियोजना हेतु 26.274 हे० वन भूमि

राष्ट्रीय राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी

के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों को समुदाय रखा गया। प्राग राना के

अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मांगला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति

के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

क्रमशः 3

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु 82.553 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- पौड़ी  
जनपद- गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- पौड़ी  
जनपद- गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के किमी0 146+00 से 276+00 (सतपुड़ी से खोस) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी पौड़ी  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 119 का 146+00 से 276+00 तक का क्षेत्र

श्री श्री वैष्णविक स्थिति (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम

भूमि 0.151 हे0 वन वांछित भूमि, अर्थात् कुल 30.553 हे0 वन भूमि) का राजमार्ग खुला कर

प्रयोज्य एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौड़ी अध्यक्ष
- 2- श्री श्री लाल (र.0) उप प्रमाणिक वन अधिकारी
- 3- श्री अनिल शर्मा वर सदस्य / सचिव
- 4- श्री श्री लाल जी वर सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की

अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राजमार्ग

राजमार्ग 119 (534) कि.मी. 146 से 276 (सतपुड़ी से खोस) तक दो लेन चौड़ी करण

के वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि 21.000 हे0

राजमार्ग खोस, खुला कर प्रयोज्य एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा को

अन्तर्गत वन अधिकार का कोई मामला सम्बन्धित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति

के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी पं.डी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वंग अधिकारों की गान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पं.डी परिक्षेत्र के अन्तर्गत म.प. सं. 119 मे. खीनगर परियोजना के निर्माण हेतु 32.553 हे. वन भूग. राष्ट्रीय राजमार्ग धुन्नाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील - पं.डी  
जनपद - पं.डी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी पं.डी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील - पं.डी  
जनपद - पं.डी गढ़वाल

परियोजना का नाम :-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (534) के किमी 196 से किमी 276

सतपुली से श्रीनगर के 2 लेन निर्माण हेतु

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पौड़ी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 (सतपुली से श्रीनगर) 196 से 276 हेतु आरक्षित वन 22.55 हे० सिविल एवं सोयन वन भूमि 0.33 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 22.88 हे० वन भूमि) का राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (शहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति को बैठक श्री किशन सिंह नेगी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |                            |                           |              |            |
|----|----------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| 1- | श्री <u>किशन सिंह नेगी</u> | उपजिलाधिकारी              | <u>पौड़ी</u> | अध्यक्ष    |
| 2- | श्री <u>रमेश कुमार</u>     | उप प्रभागीय वनाधिकारी     | <u>पौड़ी</u> | सदस्य      |
| 3- | श्री <u>धनम चन्द</u>       | सहायक सनाज कल्याण अधिकारी | <u>पौड़ी</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री <u>अरुण कुमार</u>     | बी०डी०सी० क्षेत्र         | <u>पौड़ी</u> | सदस्य      |

उप जिला मजिस्ट्रेट  
वारहस्यू पौड़ी  
अनुसूचित जनजाति  
सदस्य के पंचायत  
कार्ड 03 भा. (कफा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उन जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की नीतिगत माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि NH-119 (534) कि.मी 196 से 276 सतपुली से श्रीनगर 2 लेन का निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

स. सनाज कल्याण अधिकारी  
विकास खण्ड पौड़ी  
उपखण्ड स्तरीय समिति

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 (सतपुली - श्रीनगर) कि.मी 196 से 276 परियोजना के निर्माण हेतु 22.88 हे० वन भूमि 0.33 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहेत में राक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड  
स्तरीय वन अधिकार समिति  
शहसील पौड़ी  
जनपद पौड़ी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी (राजवाड़ा) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड  
स्तरीय वन अधिकार समिति  
शहसील पौड़ी  
जनपद पौड़ी

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुरी-जीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, जीनगर  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, जीनगर

उपखण्ड जीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत शक्ति शक्ति वैधानिक  
स्थिति सिद्धि (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.125 हे0 सिविल एवं सोयम  
वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय  
राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित  
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत  
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जीनगर) की दिनांक 19/04/17 को सम्पन्न बैठक  
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम  
2006 एवं नियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री माया दत्त  
जोशी उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता  
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री माया दत्त जोशी उपजिलाधिकारी जीनगर अध्यक्ष
- 2- श्री प्रमोद प्रसाद उप प्रभागोय वनाधिकारी जीनगर सदस्य
- 3- श्री सुरेश सिंह शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी जीनगर सदस्य/सचिव
- 4- श्री सुरेश सिंह शर्मा बी0डी0सी0 क्षेत्र जीनगर सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की  
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय  
राजमार्ग 119 (534) कि.मी. 196 से 276 (सतपुरी से जीनगर) तक दो लेन चौड़ाकरण हेतु  
वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 36.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग  
276, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी  
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के  
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति  
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पेड़ी द्वारा अनुसूचित जगजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय नदियों को अदगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत पेड़ी श्रीनगर गढ़वाल परियोजना के निर्माण हेतु 32553 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुनामेर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी  
श्रीनगर गढ़वाल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- श्रीनगर

जनपद- पेड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पेड़ी, गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी  
श्रीनगर गढ़वाल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- श्रीनगर

जनपद- पेड़ी गढ़वाल